



उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक : 105/सू.एवंलो.स.वि.(विज्ञा.) 42/2016

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2017

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड प्रिण्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित सूचीबद्धता संचालन समिति की बैठक सूचना महानिदेशालय में 7-9 अप्रैल, 2017 को आयोजित हुई। समिति द्वारा विभाग में जनपद हरिद्वार से पूर्व में सूचीबद्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व त्रैमासिक समाचार पत्रों के सूचीबद्धता नवीनीकरण आवेदनों पर विचार किया गया। समिति द्वारा जिन समाचार पत्रों को डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त है, उनको नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.ए.वी.पी. दर पर नवीनीकृत किया गया है तथा जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं विभाग में न्यूनतम दर पर पूर्व से ही सूचीबद्ध थे, उनके द्वारा घोषित तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। भविष्य में प्रसार संख्या सहित किसी भी अन्य तथ्य के गलत या भ्रामक पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सूचीबद्धता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा। नवीनीकृत समाचार पत्रों, जिनको डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त नहीं है, उनको घोषित प्रसार संख्या के आधार पर नियमावली के अनुसार द्वारा दर निर्धारित कर आदेश निर्गत किये जायेंगे। जिन समाचार पत्रों को विकल्प के साथ नवीनीकृत किया गया है, उनका विकल्प जिला सूचना अधिकारी एक सप्ताह में लिखित में प्राप्त करें। विकल्प में जिन समाचार पत्रों का अभी समिति द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, उनमें वर्तमान में विकल्प प्राप्त होने तक किसी एक नवीनीकृत समाचार पत्र को ही विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध माना जायेगा। सूचीबद्धता हेतु नवीनीकृत किये गये समाचार पत्रों का विवरण निम्नवत है :-

जनपद-हरिद्वार

क्र.सं	पत्र का नाम, अवधि, प्रकाशन स्थल एवं पता	समिति की संस्तुति/टिप्पी
1.	हिन्दी पाक्षिक हरिद्वार का हदय, श्री ओम गौतम भवन रामगढ़, खड़खड़ी, भीमगौड़ा हरिद्वार	नवीनीकृत।
2.	हिन्दी पाक्षिक शिवम एक्सप्रेस, सिद्ध आश्रम निरंजनी अखाड़ा रोड, हरिद्वार	विकल्प के साथ नवीनीकृत।
3.	हिन्दी पाक्षिक जनक्रांति का अग्रदूत, मकान न. 100 भूपतवाला हरिद्वार	विकल्प के साथ नवीनीकृत।
4.	उर्दू पाक्षिक गोरवाराह 609 बी मोहल्ला सती, इमली रोड रुड़की, हरिद्वार	नवीनीकृत।
5.	हिन्दी पाक्षिक दिनभर सदभावना प्रिंटर्स एफ-22 इंडिस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार	विकल्प के साथ नवीनीकृत।
6.	हिन्दी पाक्षिक विजय का अश्व, 193/1 कैलाश गली भूपतवाला हरिद्वार	नवीनीकृत।
7.	हिन्दी पाक्षिक अध्यात्म जगत, 02 योगाश्रम देवपुरा, हरिद्वार	नवीनीकृत।
8.	हिन्दी मासिक सत्य ऑन लाइन, लालकॉआ, कनखल, हरिद्वार	विकल्प के साथ नवीनीकृत।
9.	हिन्दी मासिक लोक लुभावन, भीमगौड़ा हरिद्वार	विकल्प के साथ नवीनीकृत।
10.	हिन्दी अग्रेजी मासिक विद्यार्थी की दिशा, महेन्द्र विहार राजा गार्डन कालोनी, जगजीदपुर कनखल, हरिद्वार	नवीनीकृत।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
महानिदेशक

पत्रांक : 105 /सू.एवंलो.स.वि. (विज्ञा.)42/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड।
2. समिति के सदस्यों को।
3. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समिति द्वारा जिन समाचार पत्रों के आवेदन को विकल्प में रखा गया है, उनका विकल्प एक सप्ताह में लिखित में प्राप्त कर, उसकी पावती मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
महानिदेशक



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक : १०८ / सू.एवंलो.स.वि.(विज्ञा.) 42/2016

देहरादून: दिनांक ६ मई, 2017

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड प्रिण्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित सूचीबद्धता संचालन समिति की बैठक सूचना महानिदेशालय में 7-9 अप्रैल, 2017 को आयोजित हुई। समिति द्वारा विभाग में जनपदवार पूर्व में सूचीबद्ध दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व त्रैमासिक समाचार पत्रों के सूचीबद्धता नवीनीकरण आवेदनों पर विचार किया गया। समिति द्वारा जिन समाचार पत्रों को डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त है, उनको नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.ए.वी.पी. दर पर नवीनीकृत किया गया है तथा जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं विभाग में न्यूनतम दर पर पूर्व से ही सूचीबद्ध थे, उनके द्वारा घोषित तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। भविष्य में प्रसार संख्या सहित किसी भी अन्य तथ्य के गलत या भ्रामक पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सूचीबद्धता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा। नवीनीकृत समाचार पत्रों, जिनको डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त नहीं है, उनको घोषित प्रसार संख्या के आधार पर नियमावली के अनुसार विभाग द्वारा दर निर्धारित कर आदेश निर्गत किये जायेंगे। जिन समाचार पत्रों को विकल्प के साथ नवीनीकृत किया गया है, उनका विकल्प जिला सूचना अधिकारी एक सप्ताह में लिखित में प्राप्त करें। विकल्प में जिन समाचार पत्रों का अभी समिति द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, उनमें वर्तमान में विकल्प प्राप्त होने तक किसी एक नवीनीकृत समाचार पत्र को ही विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध माना जायेगा। सूचीबद्धता हेतु नवीनीकृत किये गये समाचार पत्रों का विवरण निम्नवत है:—

क्र.स	पत्र का नाम, अवधि, प्रकाशन स्थल एवं पता	समिति की संस्तुति / टिप्पी
1.	हिन्दी दैनिक अपने लोग, 432 आर्यनगर, हरिद्वार	नवीनीकृत।
2.	अंग्रेजी द संवाद केसरी, विष्णुपुरी रामपुर रोड, हल्द्वानी	नवीनीकृत।
3.	साप्ता. वैष्णो कन्हाई न्यूज, उधमसिंह नगर	नवीनीकृत।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
महानिदेशक

पत्रांक : १०८ / सू.एवंलो.स.वि. (विज्ञा.) 42/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड।
2. समिति के सदस्यों को।
3. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंह नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समिति द्वारा जिन समाचार पत्रों के आवेदन को विकल्प में रखा गया है, उनका विकल्प एक सप्ताह में लिखित में प्राप्त कर, उसकी पावती मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
महानिदेशक



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक : 109 / सू.एवंलो.स.वि.(विज्ञा.) 42/2016

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2017

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड प्रिण्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित सूचीबद्धता संचालन समिति की बैठक सूचना महानिदेशालय में 7 से 9 अप्रैल, 2017 को आयोजित हुई। समिति द्वारा विभाग में जनपद उधमसिंह नगर से पूर्व में सूचीबद्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व त्रैमासिक समाचार पत्रों के सूचीबद्धता नवीनीकरण आवेदनों पर विचार किया गया। समिति द्वारा जिन समाचार पत्रों को डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त है, उनको नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.ए.वी.पी. दर पर नवीनीकृत किया गया है तथा जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं विभाग में न्यूनतम दर पर पूर्व से ही सूचीबद्ध थे, उनके द्वारा घोषित तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। भविष्य में प्रसार संख्या सहित किसी भी अन्य तथ्य के गलत या भ्रामक पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सूचीबद्धता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा। नवीनीकृत समाचार पत्रों, जिनको डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त नहीं है, उनको घोषित प्रसार संख्या के आधार पर नियमावली के अनुसार विभाग द्वारा दर निर्धारित कर आदेश निर्गत किये जायेंगे। जिन समाचार पत्रों को विकल्प के साथ नवीनीकृत किया गया है, उनका विकल्प जिला सूचना अधिकारी एक सप्ताह में लिखित में प्राप्त करें। विकल्प में जिन समाचार पत्रों का अभी समिति द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, उनमें वर्तमान में विकल्प प्राप्त होने तक किसी एक नवीनीकृत समाचार पत्र को ही विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध माना जायेगा। सूचीबद्धता हेतु नवीनीकृत किये गये समाचार पत्रों का विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	पत्र का नाम, अवधि, प्रकाशन स्थल एवं पता	समिति की संस्तुति/टिप्पणी
1	हिन्दी साप्ताहिक खटीमा मोर्निंग, उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
2	हिन्दी साप्ताहिक पर्वत शान्ति, उधमसिंह नगर	नवीनीकृत
3	हिन्दी साप्ताहिक काशीपुर गौरव, उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
4	हिन्दी साप्ताहिक सत्य का पुजारी, उधमसिंहनगर राम लीला गेट के पास मरिजद मार्केट बाजपुर	नवीनीकृत
5	साप्ताहिक खबरनामा युग निर्माता कोहीनूर प्रेस बिल्डिंग अल्लीखों, काशीपुर	नवीनीकृत
6	साप्ताहिक लोकतंत्र, गुड़िया प्रिंटिंग प्रेस, रहमखानी स्ट्रीट काशीपुर उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
7	साप्ताहिक सनाका रॉयल रेफिडैन्सी फ्लैट न० ए/१ बाजपूर रोड, काशीपुर उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
8	साप्ताहिक हिमालय गौरव उत्तराखण्ड, रोडवेज के सामने काशीपुर उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
9	हिन्दी साप्ताहिक काशीपुर टाइम्स समय, नई अनाम कड़ी काशीपुर उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
10	हिन्दी साप्ताहिक खबरों की खोज, पता:- माहल्ला सिंधान राम-श्याम कालोनी काशीपुर उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
11	हिन्दी साप्ताहिक समर्थ सूर्य उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
12	हिन्दी साप्ताहिक सण्डे भारती, उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
13	हिन्दी साप्ताहिक सच्चाई की जीत उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
14	हिन्दी साप्ताहिक नाद बहम एक्सप्रेस, उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
15	हिन्दी साप्ताहिक मीडिया जनमत, उधमसिंहनगर	नवीनीकृत
16	हिन्दी साप्ताहिक वर्ल्ड मीडिया न्यूज उधमसिंहनगर	विकल्प के आधार पर नवीनीकृत।
17	हिन्दी साप्ताहिक राष्ट्र बन्धु, उधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
18	हिन्दी साप्ताहिक अपराह्न दैनिक खोजी नगर उधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
19	हिन्दी साप्ताहिक पीपुल फैन्ड, गुरुनानक काम्पलैक्स वीर हकीकत राय मार्ग, रुद्रपुर	नवीनीकृत
20	हिन्दी पाक्षिक चौधरी टाइम्स, मोहल्ला अल्लीखों, काशीपुर	नवीनीकृत

21	हिन्दी साप्ताहिक सच्चाई की किरण, ऊधमसिंह नगर	नवीनीकृत
22	हिन्दी पाश्चिक कुमाऊ का नायक, ऊधमसिंह नगर	नवीनीकृत
23	हिन्दी पाखिक उत्तराखण्ड लोकतंत्र, काशीपुर ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत
24	हिन्दी पाश्चिक सजल एक्सप्रेस, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत
25	हिन्दी पाश्चिक सम्यक पब्लिक भारत ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत
26	पाश्चिक अमन युवराज ऊधमसिंहनगर	विकल्प के साथ नवीनीकृत।
27	हिन्दी पक्षिक विचार धारा, काशीपुर	नवीनीकृत।
28	हिन्दी पक्षिक उत्तराखण्ड वादियां	नवीनीकृत।
29	हिन्दी पाश्चिक आसिम टाईम्स ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
30	हिन्दी साप्ताहिक अभिमन्यु टाइम्स, ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
31	पाश्चिक सुहानी एक्सप्रेस	नवीनीकृत।
32	पाश्चिक सुर्दर्शन समाचार	नवीनीकृत।
33	हिन्दी पाश्चिक दिशा एक नजर, डाक्टर लाइन काशीपुर ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
34	हिन्दी पाखिक उत्तराखण्ड की सच्चाई, गंगे बाबा रोड काशीपुर नई बस्ती काशीपुर	नवीनीकृत।
35	हिन्दी पाश्चिक सत्य का साथी, काशीपुर ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
36	हिन्दी पाश्चिक सूर्या वंशम टाईम्स, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
37	हिन्दी पाश्चिक आज की किरण काशीपुर ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
38	हिन्दी पाश्चिक इनसाईड कवरेज, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
39	हिन्दी पाश्चिक मीडिया ग्रुप रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
40	हिन्दी पाश्चिक करमवीर रिपोर्टर, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
41	हिन्दी पाश्चिक क्राईम का शिकंजा ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
42	हिन्दी पाश्चिक गंगा प्रवाह, वार्ड न. दिनेशपुर ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
43	हिन्दी मासिक कृषक गार्जियनन ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
44	सृजन की संवाहन पंखुड़ी त्रैमासिक ऊधमसिंहनगर	नवीनीकृत।
45	साप्ताहिक उत्तरांचल देवभूमि माया, ऊधमसिंह नगर	नवीनीकृत।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
महानिदेशक

पत्रांक : १०९ / सू.एवंलो.स.वि. (विज्ञा.) 42 / 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड।
2. समिति के सदस्यों को।
3. जिला सूचना अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समिति द्वारा जिन समाचार पत्रों के आवेदन को विकल्प में रखा गया है, उनका विकल्प एक सप्ताह में लिखित में प्राप्त कर, उसकी पावती मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
महानिदेशक